© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 5 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology

भारत में नारी शिक्षा की स्थिति

डॉ0 वंदना कुमारी
पूर्व शोध छात्रा, शिक्षा संकाय,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत।

प्राचीनकाल से आज तक विश्व के सभी विचारकों, दार्शनिकों तथा शिक्षाविद्ों ने नारी शिक्षा के महत्व को सदैव अनुभव किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपरा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी मॉ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था। यह भी कहा गया है ''यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी वर्गभेद और लिंग भेद को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है परंतु इसके बावजूद भी कतिपय रूदिवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी मॉ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में :–''महिलाओं को सदैव असहायता तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया''। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में रखकर पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करके ही कार्यक्रम के कर्तव्य का ज्ञान देने मात्र को ही उस समय की स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था।

परंतु आज परिस्थितियॉ बदल गयी है। आज स्त्रियॉ शिक्षा प्राप्त करके समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में पुरूषों के साथ योगदान कर रही है। वे आज घर की चहारदिवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं है वरन वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर है। वास्तव में वर्तमान समय में स्त्रियों में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार को है।

नारी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीनकाल में नारी की स्थिति:– भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि स्त्री जीवन के हर पहलू में पुरूष का साथ देती है । वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रयी, आत्रेय, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के संभ्रात परिवारों की लड़कियॉ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थी। उस समय स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था थी। फिर भी

प्राचीन काल में मैत्रयी, लोपमुद्रा, अपाला, शैव्या, सीता, उर्मिला, विद्योत्तमा, चुडाला जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता, त्याग एवं समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

बौद्धकाल में प्रांरभिक वर्षो में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, पंरतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। उस समय के संघमित्रा जैसी विदुषी नारियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शिक्षा केवल धनी–मनी व कुलीन घरानों तक ही सीमित थी।

मुस्लिम काल में नारी शिक्षाः– मुस्लिम काल में भी स्त्रियॉ शिक्षा से उपेक्षित ही रहीं। उस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियॉ शिक्षा से वंचित रह जाती थी। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गो की बालिकायें अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करती थी। मुस्लिम बालिकायें मस्जिद से जुड़े मकतबों में तथा संभ्रात, कुलीन तथा शाही परिवार प्रायः अपना घरों में मौलवी को बुलाकर स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मुस्लिम काल में सामान्य वर्ग की स्त्रियॉ में रजिया सुल्ताना, चॉद बीबी, नूरजहॉ, गुलबदन बेगम, जेबुनिसा, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, अहिल्याबाई के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

ब्रिटिश काल में नारी शिक्षाः– ब्रिटिश काल में कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। समाज एवं धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित होने के कारण कंपनी ने स्त्री शिक्षा में कोई रूचि नहीं ली। फिर भी कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किये गये प्रयासों से प्रारंभ हुआ।

सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। सन् 1902 ई0 तक स्त्री शिक्षा में एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया।

भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गॉधी, मीरा बहन, भीखा जी कामा जैसी अनेक बिदुषी महिलाएँ ने अपने देश प्रेम, त्याग व योग्यता से महिलाओं की उन्नति की मार्ग प्रशस्त किया।

सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदेालन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुई। शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी गयी। परिणामस्वरूप नारी शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी साथ ही बड़ी संख्या में नारियॉ शिक्षा ग्रहण करने लगी।

नारी शिक्षा की वर्तमान स्थितिः– सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता, परतंत्रता, रूढिवादिता तथा असहायता के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय स्त्रियॉ आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों से संबधित सामाजिक मान्यताएं बदल रही है। भारतीय संविधान में पुरूषों तथा स्त्रियों को पूर्ण स्वरूप सम्मान दर्जा देते हुए भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया।

स्वतंत्रता के उपरांत नारी शिक्षा के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को जानने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

नारी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्वः– मानव समाज में नारी शिक्षा का विशिष्ट महत्व है क्योंकि कोई भी काम चाहे सामाजिक हो या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनैतिक हो, बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। एक अच्छे समाज के निर्माण का आधार भी नारी है। नारी समाज निरंतरता तथा उत्पादकता का भी प्रमुख आधार है। वास्तव में संपूर्ण समाज के निर्माण एवं विकास की संभावनाएँ नारी पर ही निर्भर है। इसलिए नारी शिक्षा की अवहेलना करना समाज के प्रति अन्याय करना है।

नारी शिक्षा के महत्व के संबंध में कुछ प्रमुख विचारकों, विद्वानों तथा शिक्षाविद्रों ने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किये हैः–

1. नेपोलियन के अनुसार :– ''मुझे सुशिक्षित माताएँ दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा''।
2. जगजीवन राम ने एक बार विचार व्यक्त कियाः– ''एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आनेवाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी''।
3. पंडित नेहरू के अनुसार :–'' लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा हे परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है''।
4. राष्ट्रपति लिंकन ने कहा है किः– ''मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ''।
5. फोरेबल के अनुसारः– ''माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ है''।

उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि स्त्रियां परिवार का मेरूदंड है। वे अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के गौरव को उॅचा उठाती है। बच्चे वैसा ही बनते है जैसा मॉ उन्हें बनाती है। बच्चों के विकास में सर्वाधिक योग मॉ का होता है। अतः वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा की आवश्कता और महत्व काफी बढ़ गया है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है :–

1. स्त्री का नारीत्व शिक्षा से निखर जाता है।
2. शिक्षित स्त्री ही गौरवांवित अस्तित्व को समझ सकती है।
3. स्त्री शिक्षा परिवार के लिए विशेष उपयोगी होता है।
4. शिक्षित स्त्री परिवार का उत्थान करने में सफल हो सकती है।
5. अपने संतानों की सुशिक्षा एवं सुसंस्कार शिक्षित स्त्री से ही संभव है।
6. शिक्षित स्त्री अपने तथा आनेवाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होती है।
7. सहिष्णुता, साहस, निष्ठा, शिष्टाचार, सहनशीलता जैसे गुणों का व्यक्तित्व में शामिल करने हेतु स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है।
8. स्त्री शिक्षा नारियों को पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध करती है।
9. स्त्री के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए।
10. व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित अवसरों की प्राप्ति हेतु ।

11. जगत और जीवन के संबंधों को अवबोधित करने में सहायता प्रदान करने हेतु।

इस प्रकार, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतंत्र दृष्टि से स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है।

नारी शिक्षा की समस्याएॅः– निःसंदेह स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है । इसके बावजूद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति को संतोषप्रद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में नारी शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित समस्याएॅ है।

1. **शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्याः–** लडकियों की शिक्षा के मार्ग उनकी सबसे बडी बाधा लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे यहॉ शिक्षा के सभी स्तरों और लगभग सभी पक्षों और लडके तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानताएॅ पायी जाती है। लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर लड़कों के अपेक्षा कम मिल पाते हैं।

2. **कन्याओं के शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण :–** आज के विज्ञान और प्राद्योगिकी के इस युग में यधपि रूढिवादी विचारों, अंधविश्वासों तथा दोषपूर्ण रीति रिवाजों की उपयोगिता को नकार दिया गया है। फिर भी अनेक भारतीय अब भी इन रूढिवादियों, अंधविश्वासों तथा परंपराओं का पोषण एव समर्थन करते है। यही कारण है कि हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभी भी सीमित, संकुचित एवं रूढिवादी तथा एकांकी विचार पाये जाते है। छुआछुत, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढियों के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। रूढिवादी व्यक्ति के विचार में लड़कियॉ शिक्षा प्राप्त करके समानता व स्वतंत्रता की मांग करती है जो स्त्री चरित्र हीनता का सूचक होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र प्रतीत होती है।

3. **अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या :–** अपव्यय तथा अवरोधन स्त्री शिक्षा की एक गंभीर समस्या है। अन्य राष्ट्रों की तुलना में स्त्री शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन अधिक पाया जाता है। प्रायः देखा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश लेनेवाली प्रत्येक 100 लड़कियों में से केवल 35 लड़कियॉ ही कक्षा पॉच में पहुंच पाती है तथा लगभग 20 ही कक्षा आठ में पहुंच पाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक पायी जाती है। निर्धनता, अशिक्षित माता, पिता रूढिवादिता,लड़कियों के प्रति संकुचित एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, नीरस पाठयक्रम, अनाकर्षक विद्यालयी वातावरण, परामर्श व निर्देशन का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अध्यापिकाओं का अभाव यदि लड़कियों में अपव्यय एवं अवरोधन के लिए मुख्य रूप से उतरादायी है।

4. **दोषपूर्ण पाठयक्रम :–** स्त्री शिक्षा की एक बड़ी समस्या उचित पाठयक्रम का अभाव है। हमारे यहॉ लड़के तथा लड़कियों का एक समान पाठयक्रम है। प्रचलित पाठयक्रम नीरसता तथा अरूचिकर है। ज्ञान प्रधान, पुस्तक प्रधान तथा अव्यवहारिक होने के कारण वर्तमान पाठयक्रम परिस्थितियों को अपनी बदलती परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए तैयार करने में असफल रहता है।

5. **दोषपूर्ण प्रशासन :–** स्त्री शिक्षा का समुचित विकास न होने का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण प्रशासन है। स्त्रियों की शिक्षा के विकास में अनेक प्रशासनिक कठिनाईयों तथा बाधायें अनुभव की जाती है। लगभग सभी राज्यों में स्त्री

शिक्षा का प्रशासनिक भारत पुरूष अधिकारियों पर है। पुरूष होने के कारण संभवतः वे न तो स्त्रियों को विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ पाते है और न ही स्त्री शिक्षा में विशेष रूचि लेते हैं। स्त्री शिक्षा के प्रशासन व पर्यवेक्षण का उतरदायित्व स्त्रियों को सौंपा जाना चाहिए।

6. अध्यापिकाओं का अभाव :–

स्त्री शिक्षा के प्रसार में एक बहुत बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी भी है। न केवल उच्चस्तर पर वरन् प्राथमिक स्तर पर भी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है। जिसके कारण अनेक माता–पिता अपने लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। महिला शिक्षा की कमी, शिक्षित महिलाओं को पारिवारिक कारणों से नौकरी न करना, सुरक्षा, आवास आदि वजह से अन्य शहरों या गॉवों में नौकरी न करना पाना आदि कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से अध्यापिकाओं का अभाव रहता है।

6. आर्थिक समस्या :–

स्त्री शिक्षा के विकास का एक कारण समुचित धन का अभाव है। वर्तमान समय में शिक्षा एक निवेश हे जिसके लिए समुचित मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकार की जितनी रूचि लड़कों की शिक्षा में है उतनी रूचि लड़कियों की शिक्षा में नहीं है। स्त्री शिक्षा के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करनी होगी जिसे केवल लड़कियों की शिक्षा पर ही व्यय किया जाय।

8. व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी :–

स्त्रियों के लिए व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी एक गंभीर समस्या है । स्त्रियों के उत्थान के लिए विकास करने का भार अपने उपर लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिल शिक्षा परिषद् नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए जबकि स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों की शिक्षा की राज्य परिषदें गठित करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। लड़कियों के लिए उनकी रूचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठयक्रम चलाये जाने चाहिए।

स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान तथा स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझावः–

स्वतंत्रता के उपरांत स्त्री शिक्षा के मार्ग मे ंआनेवाली बाधाओं को जानने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। इनमें कुछ प्रमुख आयोगों तथा समितियों के सुझाव निम्नलिखित हैः–

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगः–

इस आयोग ने स्त्री शिक्षा को बल देते हुए लिखा है कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित स्त्री नहीं हो सकती। स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे वे सुमाता एवं गृहिणी बन सके। शिक्षा प्राप्त करने में

स्त्रियॉ दूसरों का अनुकरण न करें अपितू स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा संस्थानों का पाठयक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे स्त्रियॉ सामान्य समाज में अपना सम्मानजनक स्थान ग्रहण कर सके।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952):–

इस आयोग ने बालक–बालिकाओं के पाठयक्रम में विभिन्नता लाने पर विशेष जोर नहीं दिया किंतु बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने का विशेष बल दिया। अध्यापिकाओं को सेवा सुविधा देने का भी सुझाव दिया।

3. दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958):–

स्त्री शिक्षा की समस्या तथा समाधान करने पर विचार करने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षित समिति का गठन किया जिसे समिति का अध्ययन के नाम पर इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति कहकर भी पुकारा जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य स्त्री से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान हेतु सुझाव देना है।

इस समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निश्चित योजना के अनुरूप स्त्री शिक्षा का विकास करने का भार अपने उपर लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए, जबकि स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों की शिक्षा की राज्य परिषदें गठित करनी चाहिए।

4. हंसा मेहता समिति :–

सन् 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने विद्यलय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठयक्रम में अंतर होने अथवा नहीं होने की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे अध्यक्षा के नाम पर हंसा मेहता समिति कहा जाता है। इस समिति ने सुझाव दिया है कि विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठयक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं तथा रूचियों से होना चाहिए न कि यौन भेद से। अतः यौन के आधार पर पाठयक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है।

5. **भक्त वत्सलम् कमेटी रिपोर्ट (1963) :–**

भक्त वत्सलम् कमेटी ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कई प्रकार के सुझाव दिये। बालिकाओं के विद्यालयों में यथासंभव अध्यापिकाऍ नियुक्त हो, अध्यापिकाओं की कार्य परिस्थिति आकर्षक बनाई जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालीन अध्यापिकाओं को लगाया जाए, महिला निरीक्षक का प्रबंध हो तथा एच्छिक विषय की व्यवस्था लड़कियों की रूचि एवं कार्य क्षेत्र के अनुरूप हो।

6. **कोठारी कमीशन (1964–66) :–**

सन् 1964 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, जिसने अपने प्रतिवेदन सन् 1966 में दिया था, ने भी महिला शिक्षा की समस्या पर विचार किया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किया। कोठारी आयोग ने मानव संसाधनों को विकास परिवारों की उन्नति तथा बालकों की चरित्र निर्माण में पुरूषों की अपेक्षाओं महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने, निःशुल्क छात्रावास एवं छात्रवृतियों की व्यवस्था करने, लड़कियों के लिए पार्ट टाइम एजुकेशन, अल्पकालीन शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने, लड़कियों के लिए पृथक कॉलेज खोलने, नारी शिक्षा अनुसंधान इकाई खोलने तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्त्री शिक्षा के संचालन से संबंधित प्रासंगिक तंत्र का गठन जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

7. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986):–**

सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गयी है। नये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कार्यान्वयन कार्यक्रम (POA 1992) में स्त्री शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित बातें सम्मिलित की गयी हैः–

(i) विभिन्न पाठयक्रमों के अंग के रूप में स्त्री अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(ii) शिक्षा संस्थाओं को स्त्री विकास के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(iii) विभिन्न स्तरों के व्यवसायिक तकनीकी तथा वृतिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) यौन विभेद की नीति को समाप्त किया जायेगा।

(v) स्त्री शिक्षा के मार्ग के बाधाओं को निराकरण से संबंधित प्रयासों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) पाठय पुस्तकों, नीति निर्धारकों, प्रशासकों तथा शिक्षा संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा नये मूल्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में नारी शिक्षा के प्रति कुल प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आज भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। आज महिलाएं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में पुरूष के समान सक्रिय रूप से भाग ले रही है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं के शिक्षा के संदर्भ में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है जिससे बालिकाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाईयों का निवारण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. रावत, प्यारे लाल (1975)–प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008)– भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायेंः इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
3. अग्निहोत्री , रविन्द्र (2006)– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याऍ और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. प्रोग्राम ऑफ एक्शन : नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986
5. योजना, जनवरी 2016 अंक, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. Jain,S. (2003) -Gender equality in education, Community based initiatives in India.
7. http:/hi.m.wikipedia.org